कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, धौलपुर
E-Mail :- cdeosmsadhaulpur@gmail.com

दिनांक : 24.08.2026

क्रमांक : मुजिशिअ / धौल / सामान्य / 2026–27 / 5215

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समग्र शिक्षा जिला – धौलपुर।

विषय :– शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेष, अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फेकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।

प्रसंग :– वित विभाग के पत्र क्रमांक 46(2) वित / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिक्षा विभाग में विभिन्न में विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शिक्षण संस्थानाओं में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विद्या संबंल योजना लागु की जा रही है। इसी क्रम में पात्र अभ्यार्थियों / सेवा निवृत शिक्षकों के आवेदन आमंत्रित करने एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्न लिखित समय सीमा तय की जाती है –

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	समय
1	पीईईओं विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	24.08.2026	–
2	विद्यालय के एवं अधीनस्थ विद्यालयों के शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित (व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एल–1 / एल–2) रिक्त पदों की सूची प्रकाशित करना एवं पात्र अभ्यार्थियों के भरे हुए आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	25.08.2026 से 27.08.2026	दोपहर 01.00 बजे तक
3	विद्यालय स्तरीय कमेटी द्वारा आवेदनों की जॉच एवं निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 3–3 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार करना।	29.08.2026	
4	विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीबीईओं कार्यालय में पहुचाना	31.08.2026	प्रातः 11.00 बजे तक
5	सीबीईओं द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची सीडीईओं कार्यालय में पहुचाने हेतु अन्तिम तिथि	31.08.2026	सांय 4.00 बजे तक
6	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन–सूची अनुमोदन तिथि	31.08.2026	सांय 6.00 बजे

चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित अंकभार

पदनाम	कक्षा 10	कक्षा 12	स्नातक	अधिस्नातक	प्रशैक्षणिक योग्यता एसटीसी / बीएड
अध्यापक लेवल–1	30%	40%	-	-	30%
अध्यापक लेवल–2	20%	20%	30%	-	30%
वरिष्ठ अध्यापक	10%	10%	50%	-	30%
व्याख्याता	-	-	20%	50%	30%

(महेश कुमार मंगल)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला
परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, धौलपुर

क्रमांक : मुजिशिअ/धौल/सामान्य/2026–27/

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु – दिनांक : 24.08.2026

1. श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर।
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक धौलपुर।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैपऊ/सरमथुरा।
7. समस्त पीईईओं/यूसीईईओं ....जिला – धौलपुर।
8. समस्त संस्था प्रधान राजकीय..............................जिला – धौलपुर।
9. रक्षित प्रति।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला
परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा, धौलपुर

शिक्षा सम्बल योजना

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य सचिव

क्रमांक : F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर, दिनांक : यथाहस्ताक्षर।

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय :— विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विद्या संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :— शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / साविलेनि / 2021 दिनांक 30.03.2021

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप योजना का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन इस शैक्षणिक सत्र के लिए सुनिश्चित किया जाना है।

आप के जिले में विद्या संबल योजना का क्रियान्वयन संदर्भित परिपत्र में निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, आवश्यकता के आकलन, मानदेय, कार्यदायित्व, अभिलेख संधारण तथा अन्य शर्तों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाए। किसी भी स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया से विचलन न हो तथा योजना का लाभ वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता वाले विद्यालयों एवं विद्यार्थियों तक समय पर पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करें कि संबंधित विभागीय अधिकारी एवं विद्यालय स्तर के अधिकारी / कार्मिक जारी दिशा—निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। योजना की प्रगति एवं प्रमुख समस्याओं की नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अन्तर्गत की जाने वाली समस्त कार्यवाही निर्धारित समय—सीमा में पूर्ण हो तथा विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(वी. श्रीनिवास)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, मा. शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग विभाग।
5. निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally Signed by V. Srinivas
Designation : Chief Secretary
Date :18-08-2026 06:06:07

RajKaj Ref No.: 24116683

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30.03.2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005
Phone No. 0141-2227921 www.finance.rajasthan.gov.in E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)

प्रारूप

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..
...................विभाग...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...........
गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।..........................(संस्थान का नाम) में दिनांक................ को

1. यह है कि मैंने.................................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।
2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।
3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।
5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।
6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी......................

विद्या संबल योजनान्तर्गत गैस्ट फैकल्टी में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

आवेदित विद्यालय का नामः–

आवेदित पद का नामः–

व्यक्तिगत जानकारी

PHOTO

1. नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. जन्मतिथि ....
5. सेवा निवृति तिथि ....
6. सेवा निवृति के समय धारित पद ....
7. पत्राचार हेतु स्थाई पता ....

8. मोबाईल नम्बर
9. ईमेल
10. गत 02 वर्षो का परीक्षा परीणाम

सत्र		
परीक्षा परीणाम प्रतिशत में		

11. योग्यता का विवरण

सलग्न–

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी .... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हुँ की उपरोक्त वर्णित सूचना सही है। अगर कोई सूचना गलत पाई जावे तो मेरी संविदा नियुक्ति निरस्त की जाने पर किसी तरह का न्यायालय वाद प्रस्तुत नही किया जावेगा। मेरी सेवाएं संविदा/गैस्ट फैकल्टी आवश्यकता अनुसार प्रति घंटा मानदेय पर होगी। मै मेरी उक्त संविदा नियुक्ति को नियमित करने हेतु न्यायालय मे किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं करूगा/करूगी।

हस्ताक्षर

नोट– 1 पृथक–पृथक विद्यालय में एक ही संवर्ग के रिक्त पद हेतु पृथक–पृथक सम्बन्धित विद्यालय मे आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

2 एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति 2 वर्षो का गत परीक्षा परीणाम एवं सेवा निवृति तिथि की प्राथमिकता से की जावेगी।

3 आवेदन हेतु 65 वर्ष से कम उम्र के सेवा निवृत कार्मिक ही पात्र होगें।

24

विद्या संबल योजनान्तगत आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित विषय.....................

फोटो मय हस्ताक्षर

1. आवेदक का पूर्ण नाम...
2. पद (सेवानिवृत होने पर)...
3. पिता का नाम..
4. माता का नाम..
5. जन्म दिनांक...
6. मोबाईल न. .... वाट्सएप न. ....
7. स्थायी पता ....
8. मेल आईडी...
9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण –

क्र स.	कक्षा	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	कुल प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
1	10 वी					
2	12 वी					
3	स्नातक					
4	अधिस्नातक					
5	एम. फिल					
6	पीएच.डी.					
7	जेआरएफ सहित नेट					
8	नेट					
9	स्लेट या सेट					

उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यताओ से सबंधित अंकतालिकाओं की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. शोध प्रकाशन / शोधपरान्त अनुभव / पुरस्कार आदि का विवरण

i . शोध प्रकाशन का विवरण (सहकर्मी द्वारा समीक्षित या यूजीसी द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र ही मान्य होगें) -- लेखक / लेखकों का नाम, शोध पत्र का टाईटल, जर्नल का विवरण मय प्रकाशन तिथि की सूची एवं शोध पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।

ii . शिक्षण / पोस्ट डॉक्टरल अनुभव का विवरण मय प्रमाण

iii . पुरस्कारों का विवरण --

अ. अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

ब. राज्य स्तरीय स्तर पर प्राप्त किये गये पुरस्कारों का विवरण मय प्रमाण

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मै शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ कि उपर्युक्त वर्णित सभी सूचनाए मेरी जानकारी मे सही एवं सत्य है यदि इन सूचनाओ में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होऊगा / होऊगी।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर